



RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया प्रतबंध लगाया

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd- PPBL) पर सख्त प्रतबंध लगाए हैं। यह कदम एक ऑडिट रिपोर्ट द्वारा बैंक के भीतर लगातार गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चर्चाओं को उजागर करने के बाद उठाया गया है।

PPBL पर कौन-से प्रमुख प्रतबंध लगाए गए हैं?

- **पृष्ठभूमि:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A, RBI को बैंकों को निर्देश जारी करने और किसी भी बैंकिंग इकाई के संचालन को जमाकरत्ताओं के हितों के संबंध में हानिकारक या बैंक के स्वयं के हित में प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करती है।
 - इस मामले से जुड़े सूत्र इस बात का संकेत देते हैं कि पेटीएम और उससे जुड़ी बैंकिंग इकाई के बीच आवश्यक रकम से जुड़े संदिग्ध लेनदेन पर चर्चाओं ने RBI को इसके खिलाफ कार्रवाई के लिये प्रेरित किया।
 - कथित तौर पर PPBL में गैर-अनुपालन वाले कई खाते थे जिनमें उचित KYC सत्यापन का अभाव था, ऐसे हज़ारों उदाहरण थे जहाँ एक ही [पैन नंबर](#) का उपयोग कई खाते खोलने के लिये किया गया था।
 - इसके अतिरिक्त, न्यूनतम KYC प्रीपेड जैसे साधनों के ज़रिये नियामक सीमा से अधिक लेनदेन ने संभावित [मनी लॉन्ड्रिंग](#) गतिविधियों का संकेत दिया।
- **प्रमुख प्रतबंध:**
 - **जमा पर रोक:** PPBL को 29 फरवरी, 2024 से अपने खातों या वॉलेट में आगे जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से रोक दिया गया है।
 - यह [FASTag](#) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCFM) कार्ड के लिये इसके प्रीपेड उपायों पर भी लागू होता है।
 - **सेवा सीमाएँ:** यह प्रतबंध [आधार सक्रम भुगतान प्रणाली](#), तत्काल भुगतान सेवा, बलि भुगतान और UPI हस्तांतरण जैसी बैंकिंग सेवाओं तक वसितारति है।
 - बैंक को 29 मार्च, 2024 तक सभी पाइपलाइन और नोडल खाता हस्तांतरण का निपटान करना होगा, उसके बाद कोई अन्य हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं होगी।
 - **नोडल खातों को बंद करना:** PPBL को 29 फरवरी, 2024 से पहले अपनी मूल कंपनी और पेटीएम भुगतान सेवाओं के नोडल खातों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

नोट: नोडल खाते व्यवसायों द्वारा स्थापित विशेष बैंक खातों के रूप में कार्य करते हैं, जो वित्तीय मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं।

- इन खातों को उपभोक्ताओं की ओर से भाग लेने वाले बैंकों से एकत्र किये गए धन को रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है बाद में इन नधियों को वशिष्ट व्यापारियों को हस्तांतरित करना।

पेमेंट बैंक क्या हैं?

- **परिचय:**
 - पेमेंट बैंक वर्ष 2014 में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) द्वारा शुरू किये गए एक विशेष प्रकार के बैंक हैं। इन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये अभिकल्पित किया गया है।

- इन्हें छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिये वित्तीय सेवाओं की जाँच हेतु भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा गठित [नचकित मोर समिति](#) की सफ़ारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था ।
- **उदाहरण:** एयरटेल पेमेंट्स बैंक, [इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक](#), आदि।
- **लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ:** इन्हें [बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949](#) की धारा 22 (1) के तहत लाइसेंस प्राप्त है ।
- ये भारतीय रज़िर्व बैंक की वभिदति बैंक लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे वाणज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी शृंखला की पेशकश करने से प्रतिबंधित हैं ।
- भारतीय रज़िर्व बैंक दो प्रकार के बैंकिंग लाइसेंस देता है: **सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस और वभिदति बैंक लाइसेंस ।**
- **वशिषताएँ:**
 - **नकदी नधि आवश्यकताएँ:** उन्हें आरक्षति नकदी नधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनधि अनुपात (SLR) बनाए रखना आवश्यक होता है ।
 - एक वर्ष तक की परपिकवता के साथ सांविधिक चलनधि अनुपात अर्हत G-प्रतभित्तियों/टी-बलितों में इसकी मांग नकिषेप शेष राशा का न्यूनतम 75% होता है ।
 - आरक्षति नकदी नधि अनुपात संबंधी आवश्यकताओं को बनाए रखने के अलावा अन्य अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों में चालू और सावधा/सावधा जमा अधिकितम 25% होना चाहिये ।
 - **न्यूनतम चुकता पूंजी:** न्यूनतम चुकता इकवटि पूंजी 100 करोड रुपए तय की गई है ।
 - प्रवर्तक का प्रदत्त इकवटि पूंजी में न्यूनतम प्रारंभिक योगदान पहले 5 वर्षों के लिये कम से कम 40% होगा ।
 - **नधिदिध सेवाएँ:** उन्हें ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है ।
 - इसलिये, उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नयिमों से भी छूट दी गई है जो आम तौर पर पारंपरिक बैंकों पर लागू होते हैं ।
 - **ग्रामीण अभगिम आवश्यकताएँ:** पेमेंट्स बैंक के कम से कम 25% भौतिक अभगिम बदि ग्रामीण केंद्रों में होने चाहिये ।
- **पेमेंट बैंकों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतविधियाँ:**
 - व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों से एक नशिचित सीमा तक (वर्तमान में प्रतखिता 2 लाख रुपए नरिधारति) जमा स्वीकार करना ।
 - प्रेषण सेवाएँ प्रदान करना और घरेलू धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना ।
 - ATM/डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपाय और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियाँ प्रस्तुत करना ।
 - ऑनलाइन नधि अंतरण और बलि भुगतान सहति इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना ।

System	Access Deposit	Advance Loan	Make Payment
Commercial banks like SBI, PNB	YES	YES	YES
Payments network operators(Master card, VISA)	NO	NO	YES
Payments bank	YES	NO	YES

//